



अपार शक्ते: स्त्रौत: गंगेयम्

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड

माधो सिंह भण्डारी भवन, यमुना कालोनी, देहरादून

ई-मेल : hodcamp.id@gmail.com/hod.plan@gmail.com

वेबसाईट: www.uttarakhandirrigation.com Ph.No : 01352530170



Water sufficient Village

पत्रांक :- 6347 / प्र0अ0 / सिं0वि / नि0अनु0 / F.P. 2

दिनांक: 09, अक्टूबर 2025

विषय:- उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- शासन की ई-पत्रावली सं0- 888 / 11(2) / 2025 दिनांक 03.10.2025

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर- 1/11) सिंचाई विभाग, श्रीनगर/देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/यांत्रिक/रूड़की।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रावली जो अन्यो के साथ-साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने एवं परिसीमाओं में परिवर्तन करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या- 1487 / 11-2014 / 06(103) / 2023, दिनांक 06.07.2025, अधिसूचना संख्या- 10 / 11-2-2023-06(103) / 2013, दिनांक 02.01.2024 को अधिक्रमित करते हुए समिति गठित की गई है।

अतः उक्तानुसार अधिसूचना संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

(सुभाष चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक :- / प्र0अ0 / सिं0वि / नि0अनु0 / तददिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सेल, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को सिंचाई विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(संजय सिंह)
स्टाफ अधिकारी(नियोजन)
कृते प्रमुख अभियन्ता



अपार शक्तेः स्त्रोतः गंगेयम्

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,

उत्तराखण्ड

माधो सिंह भण्डारी भवन, यमुना कालोनी, देहरादून

ई-मेल : hodcamp.id@gmail.com/hod.plan@gmail.com

वेबसाइट: www.uttarakhandirrigation.com Ph.No : 01352530170



Water sufficient Village

पत्रांक :- / प्र0अ0 / सिं0वि / नि0अनु0 /

दिनांक: 09, अक्टूबर 2025

विषय:- उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- शासन की ई-पत्रावली सं0- 888 / 11(2) / 2025 दिनांक 03.10.2025

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर- 1/11) सिंचाई विभाग, श्रीनगर/देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/यांत्रिक/रूड़की।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रावली जो अन्यो के साथ-साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने एवं परिसीमाओं में परिवर्तन करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या- 1487 / 11-2014 / 06(103) / 2023, दिनांक 06.07.2025, अधिसूचना संख्या- 10 / 11-2-2023-06(103) / 2013, दिनांक 02.01.2024 को अधिक्रमित करते हुए समिति गठित की गई है।

अतः उक्तानुसार अधिसूचना संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

(सुभाष चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक :- 6347 / प्र0अ0 / सिं0वि / नि0अनु0 / तददिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सेल, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(संजय सिंह)
स्टाफ अधिकारी(नियोजन)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्र० अभियन्ता उत्तराखण्ड
(नियोजन अनुभाग) देहरादून
डायरी नम्बर: 6347
पत्र संख्या:
दिनांक: 8/10/25

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग-2
ई० पत्रावली संख्या: 84084
देहरादून, दिनांक: 03 अक्टूबर, 2025
संख्या: 888/II(2)/2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या: 07 वर्ष 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने एवं परिसीमाओं में परिवर्तन करने के दृष्टिगत, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 1487/II-2014/06(103)/2013, दिनांक 06.07.2015, अधिसूचना संख्या: 10/II-2-2023-06(103)/2013, दिनांक: 02 जनवरी, 2024 को अधिक्रमित करते हुये, निम्नानुसार समिति गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना विकास)/प्रमुख सचिव, (अवस्थापना विकास), उत्तराखण्ड शासन। - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
7. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग। - सदस्य
8. निदेशक, आई०आई०टी०, रुड़की का प्रतिनिधि। - सदस्य
9. निदेशक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन, ज्योलोजी, देहरादून। - सदस्य
10. निदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून। - सदस्य
11. निदेशक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की। - सदस्य
12. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की। - संयोजक सदस्य

SSC(P)

3/10/25

प्रमुख अभियन्ता

(सिंचाई)

23-10-25

संख्या: 888/II(2)/2025

ई० पत्रावली संख्या: 84084 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, (अवस्थापना/एफ.आर.डी.सी.) उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. आंयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(युगल किशोर पन्त),
सचिव।

Sri Sanjay Singh

04/10

SSC(P)

04/10

पूरा गमन/प्रति

04/10

8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त विभागीय वनाधिकारियों को सूचित/उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
10. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक शहरी एवं नगरी विकास को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को समस्त नगर निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, आई.आई.टी. रुड़की।
13. निदेशक, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून।
14. निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की।
16. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
18. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग-4 में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

- 2/11
(गरिमा रौकली)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 888 dated 03-10-2025 for general information:

Government of Uttarakhand
Irrigation Section - 2
No. 888/II(2)/2025E-File No.: 84084
Dehradun, Dated: 03 October, 2025

Notification

In a view to consider the report of Flood Zoning Authority and making alteration in limits under sub-section (1) of Section 11 of Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 07 of the year 2013) and in supersession of Notification No. 1487/II-2014/06(103)2013 Dated 06 July, 2015 and Notification No. 10/II-2-2023/06(103)2013 Dated 02 January, 2024, the Governor is pleased to allow to constitute the committee as follows:-

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1 | Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Infrastructure Development) Government Of Uttarakhand. | -Chairman |
| 2 | Principal Secretary/Secretary Irrigation, Government Of Uttarakhand. | -Member |
| 3 | Principal Secretary/Secretary, Revenue, Government Of Uttarakhand | -Member |
| 4 | Principal Secretary/ Secretary, Urban Development, Government of Uttarakhand. | -Member |
| 5 | Principal Secretary/Secretary, Forest, Government Of Uttarakhand. | -Member |
| 6 | Additional Chief Secretary, Principal Secretary/Secretary, Housing Department, Government Of Uttarakhand. | -Member |
| 7 | Engineer in Chief /Head of Department, Irrigation Department. Uttarakhand. | -Member |
| 8 | Representative of Director, IIT Roorkee. | -Member |
| 9 | Director, Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun. | -Member |
| 10 | Director, Indian Institute of Remote Sensing, Uttarakhand Dehradun. | -Member |
| 11 | Director, National Institute of Hydrology, Roorkee. | -Member |
| 12 | Chief Engineer (Design) and Director, Irrigation Research Institute, Roorkee. | -Member
Secretary |

(Yugal Kishore Pant)
Secretary

E-File No- 84084,

Copy to-

1. Chief Secretary, Government of Uttarakhand.
2. Additional Chief Secretary(I.D.C/F.R.D.C) Government of Uttarakhand.
3. Principal Secretary/ Secretary, Chief Minister, Government of Uttarakhand.
4. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Government of Uttarakhand.
5. Secretary, Hon'ble Governor, Uttarakhand.
6. Commissioner, Garhwal Division Pauri/ Kumaun division Nainital.

7. All District Magistrates, Uttarakhand.
8. A.G Uttarakhand.
9. P.C.C.F. Uttarakhand, with the intention to inform/make available the said notification to all the departmental forest officers.
10. Engineer-in-Chief/Head of Department, Irrigation Department, Uttarakhand, Dehradun, with the direction to make the said notification available to all the Executive Engineers.
11. Director Urban and Urban Development with the intention to make the said notification available to all the municipal bodies.
12. Director, IIT Roorkee.
13. Director, Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun.
14. Director, Indian Institute of Remote Sensing, Uttarakhand Dehradun.
15. Director, National Institute of Hydrology Roorkee.
16. Chief Engineer (Project) and Director, Irrigation Research Institute Roorkee.
17. Chief Executive Officer, Bhagirathi River Valley Development Authority, Dehradun.
18. Director, NIC, Uttarakhand Sectariate, Dehradun.
19. Joint Director, Government printing Press Roorkee with the intention to publish 50 copies of this notification in Genreal gazette and send it to Government.
20. Office Copy.

By Order,


(Garima Rounkaly)
Additional Secretary